न्यायालयः–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–192/2026

पिपराही थाना कांड सं0–112/2026

सरकार बनाम रविन्द्र पाण्डेय

अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) BNS

रविन्द्र पाण्डेय पिता स्व0 सुन्दर पाण्डेय उम्र–45 वर्ष ग्राम–द्वेकुली धर्मपुर, थाना–पिपराही जिला–शिवहर

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

दिनांक–03.06.2026

आवेदक अभियुक्तगण 1. रविन्द्र पाण्डेय, 2. माला देवी, 3. ब्यूटी कुमारी, 4. बबली कुमारी एवं 5. कोमल कुमारी, जिनका मामला पिपराही थाना कांड सं0–112/2026 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) BNS के लिए दर्ज किया गया। उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी के प्रत्यशा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिनपर उनके संबंध में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया, जिसपर उनके एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक दिनांक–23.05.2026 को सुना।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक–20.04.2026 को सूचक कन्हाई पाण्डेय पिता सुरदेव पाण्डेय समय 11:15 मिनट पर थाना पिपराही जाने को तैयार हो रहा था तो 1. बबली कुमारी पिता रविन्द्र पाण्डेय, 2. माला देवी पिता रविन्द्र पाण्डेय, 3. ब्यूटी कुमारी पिता रविन्द्र पाण्डेय, 4. कोमल कुमारी पिता रविन्द्र पाण्डेय, सभी सा0 देकुली धर्मपुर, थाना पिपराही जिला शिवहर सभी लोग मुझे घेर लिया और बबली देवी सभी के सहयोग से जाने मारने के नियत से मेरे सर पर मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। माला देवी, ब्यूटी कुमारी, रविन्द्र पाण्डेय लोहे के रड एवं डंडा से मारकर जख्मी कर दिया और मेरे माथा एवं बदन से बहुत अधिक खून गिरने लगा और मेरा कपड़ा लहू लुहान हो गया। इसी बीच सभी मेरे पॉकेट से 25,000/– रूपया निकाल लिया। मुझे भद्दी भद्दी गाली देकर भाग गया। तब मुझे गंभीर हालत को देखते हुए मेरे घर के परिवार के लोग पिपराही अस्पताल में ले गए। वहाँ पर मेरा गंभीर स्थिति देखते हुए सरोजा सीताराम सदर अस्पताल शिवहर में रेफर कर दिया, जहाँ मेरा ईलाज चल रहा है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदकगण की ओर से इसी जमानत के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत किसी अन्य वरीय न्यायालय या उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया और न ही कहीं लंबित है। साथ ही कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा इस कांड के सूचक एवं उसके परिवार के तथा अन्य सदस्य मिलकर प्रार्थी आवेदक संख्या–01, 02, 03, 04, 05 के साथ मारपीट किया और अन्य गंभीर प्रकार के अपराध कारित किया, जिसको लेकर प्रार्थी आवेदक संख्या–01 रविन्द्र पाण्डेय ने पिपराही थाना कांड सं0–113/2026 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) BNS दर्ज कराया। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा जमानत एवं बंध पत्र देने को तैयार है तथा इसके पलायन की कोई संभावना नहीं है।

लगातार.....

अतः आवेदकगण के अग्रिम जमानत के सुविधा प्रदान की जाए। विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

आवेदक सं0–05 कोमल कुमारी के तरफ से एक आवेदन दिनांक–23.05.2026 को दिया गया, जिसमें कहा गया कि आवेदक कोमल कुमारी अव्यस्क है तथा उक्त वाद में अग्रिम जमानत आवेदन से कलमजद कर दिया जाए। सुनवाई के पश्चात आवेदक सं0–05 कोमल कुमारी का नाम कुल अग्रिम जमानत आवेदन से दिनांक–03.06.2026 को कलमजद् कर दिया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथथमिकी एवं दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण 1. रविन्द्र पाण्डेय, 2. माला देवी, 3. ब्यूटी कुमारी, 4. बबली कुमारी नामित सभी अभियुक्तगण का सूचक का परिवारिक सदस्य हैं एवं नामित अभियुक्तगण रविन्द्र पाण्डेय सूचक के खास सहोदर भाई है। विशिष्ट रूप से कोई आरोप नहीं है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत के आवेदन में तीन अभियुक्तगण महिला हैं। आवदेक अभियुक्त वाद दैनिकी कांडिका–07 एवं 08 पर साक्षियों ने सूचक एवं आवेदक अभियुक्त सं0–01 रविन्द्र पाण्डेय को खास सहोदर भाई होने व घर बनाने को लेकर के हुए जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने की बात कही है। वाद दैनिकी की कंडिका–19 पर आवेदकगण के विरूद्ध थाना अभिलेख में इस कांड के अलावे पूर्व से कोई मामला दर्ज नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए आवेदकगण अभियुक्त **1. रविन्द्र पाण्डेय, 2. माला देवी, 3. ब्यूटी कुमारी, 4. बबली कुमारी** को आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी संतुष्टि योग्य/ 10000 X2 के समान प्रतिभू एवं जमानत बंध पत्र निष्पादित किए जाने पर धारा–482(2)BNSS शर्त के साथ **अग्रिम जमानत पर मुक्त** करने की आदेश प्रदान की जाती है।

Dictated and Corrected

(Mahesh Kumar)
Dist, & Addi. Sessions Judge-I,
Sheohar
Dated: 03.06.2026